**भारत सरकार**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**कृषि, सहकारिता एंव किसान कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या 45***

**25 जून, 2019को उत्तरार्थ**

**विषय: किसानों को लाभकारी मूल्य**

**45. श्री राहुल रमेश शेवलेः**

**श्री भर्तृहरि महताबः**

**क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे किः**

(क) क्या किसानों को विगत तीन वर्षों मेंप्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उच्च मुद्रास्फीतिके दृष्टिगत कृषि मूल्य नीति के अंतर्गत अपनेउत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौराक्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तिलहनों, दलहनों और कपास कीखरीद हेतु मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस)देशभर में कार्यान्वित की गई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उत्पादकी कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सेकम हो जाने पर उक्त योजना के अंतर्गत किसानोंके उत्पाद की खरीद का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा किसानों को उनके उत्पादका पर्याप्त मूल्य मुहैया कराने के लिये अन्य क्यासुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री**

**(श्री नरेंद्रसिंह तोमर)**

(क) से(ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**'किसानों को लाभकारी मूल्य' के संबंध में श्री राहुल रमेश शेवले और श्री भर्तृहरि महताब द्वारा दिनांक 25.06.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 45 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) और (ख): सरकार, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफ़ारिशों के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों और अन्य संगत कारकों पर विचार करके 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित करती है।

सीएसीपी द्वारा कृषि फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करते समय क्षेत्र विशिष्ट मानकों पर विचार किया जाता है। चूंकि सिंचाई के स्तरों, संसाधन उपलब्धता, फार्म मशीनीकरण, भू जोत आकार, के कारण उत्पादन लागत अलग-अलग राज्यों में भिन्न होती है,सीएसीपी अपनी सिफारिशें करते समय अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर विचार करता है और एकरूप एमएसपी की सिफारिश करता है जो सभी राज्यों के लिए लागू होते हैं न कि किसी विशेष क्षेत्र या राज्य के लिए। यह उत्पादन लागत सीएसीपी द्वारा मुद्रास्फीति पर विचार करने के पश्चात किए गए आकलन के अनुसार समग्र लागत होती है। इस प्रकार निर्धारित एमएसपी अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ देती है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय रूप से अलग-अलग उत्पादन योजना को बढ़ावा देना और देश में कृषि उत्पादन की एक कुशल स्थिति को प्रोत्साहित करना है।

सरकार के मूल्य नीति का उद्देश्य किसानों को मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के माध्यम से एमएसपी पर उनके उत्पाद की खरीद का प्रस्ताव करके लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) द्वारा एमएसपी सुनिश्चित करना है। किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए हाल के वर्षों में दलहन एवं तिलहन की खरीद बढ़ाई गई है।

(ग) और (घ): सरकार 'प्रधानमंत्री अन्नदाताआय संरक्षण अभियान' (पीएम-आशा) की समग्र योजना के तहत पीएसएस का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर किया जाता है जो योजना के मार्गनिर्देशों के अनुसार यथा अपेक्षा अनुसार दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीदी गई जिन्स को मंडी कर की वसूली से छूट देने तथा केंद्रीय नोडल एजेंसियों को बोरियों सहित रसद व्यवस्थाएं करने में सहायता देने, राज्य एजेंसियों के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने, पीएसएस प्रचालनों के लिए चक्रीय निधि का सृजन करने आदि के लिए सहमत होते हैं। विहित अवधि के भीतर सीधे पंजीकृतकिसानों से और उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानकों का पालन करते हुएइन जिन्सों की खरीद की जाती है। यह खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तब की जाती है जब इनके मूल्य एमएसपी से कम हो जाते हैं। पीएसएस मार्गनिदेर्शों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा खरीद की कुल मात्र उस विशेष मौसम के लिए उस जिन्स के वास्तविक उत्पादन के 25 प्रतिशत

तक सीमित होगा। यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक की खरीद करना चाहती है तो, राज्य सरकार उसकी अपनी लागत पर और उसके अपनी एजेंसियों के माध्यम से ऐसा कर सकती है। यदि राज्य सरकार केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक और 40 प्रतिशत तक की मात्रा की खरीद करना चाहती है तो, राज्य सरकार अपनी लागत पर ऐसा करेगी और इस खरीदी गई मात्रा का उपयोग उसके पीडीएस तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए करेगी।

पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएसएस के अधीन एमएसपी पर दलहन और तिलहन की खरीद तथा भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा खरीदे गए कपास का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ङ) सरकार किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के लिए, एमएसपी बढ़ाने के अलावा,कई कदम उठा रही है जिनमें नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से खरीद करना, ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) का कार्यान्वयन, कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2017 का अधिनियमनऔर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को बढ़ावा देना शामिल है।

सरकार एक बाजार संरचना पर कार्य कर रही है ताकि किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो। इसमें खेत के समीप ही 22000 खुदरा बाजारों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएमएस) की स्थाना; ई-एनएएम के माध्यम से एपीएमसी में प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी थोक व्यापार; तथा एक मजबूत और किसान हितैषी निर्यात नीति शामिल है।

अंतरिम केंद्रीय बजट 2019 में “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)” नामक एक ऐतिहासिक कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत, भू-धारक कृषक परिवारों को 6000/- रूपए प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय समर्थन दिया जाएगा। पीएम-किसान योजना का उद्देश्य किसानों को विभिन्न आदानों की खरीद के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करना है ताकिप्रत्येक फसल चक्र के अंत में अपेक्षित कृषि आय के अनुपात में उपयुक्त फसल स्वास्थ्य तथा समुचित पैदावार सुनिश्चित हो।

**अनुबंध 1**

**दिनांक 25.06.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 45 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**2015-16 *से* 2018-19 तक पीएसएस के अधीन एमएसपी पर खरीदे गए दलहन और तिलहन के अनंतिम ब्यौरे *(दिनांक 13.06.2019तक)***

| **वर्ष** | **2015-16** | | **2016-17** | | **2017-18** | | **2018-19** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **राज्य/जिन्स** | **खरीदी गई मात्रा (टन में)** | **एमएसपी मूल्य (लाख रूपए में)** | **खरीदी गई मात्रा (टन में)** | **एमएसपी मूल्य (लाख रूपए में)** | **खरीदी गई मात्रा (टन में)** | **एमएसपी मूल्य (लाख रूपए में)** | **खरीदी गई मात्रा (टन में)** | **एमएसपी मूल्य (लाख रूपए में)** |
| **तिलहन** | **4949.3** | **1880.7** | **265066.0** | **111151.3** | **2000271.2** | **840590.4** | **1749382.2** | **783062.4** |
| **कोपरा** | | | **6325.8** | **3817.1** | | | | |
| आंध्र प्रदेश | | | 3318.5 | 1974.5 | | | | |
| कर्नाटक | | | 1836.4 | 1145.9 | | | | |
| तमिलनाडु | | | 1170.9 | 696.7 | | | | |
| मूंगफली | | | 211678.9 | 89328.5 | 1051582.7 | 467954.3 | 717514.9 | 350864.8 |
| आंध्र प्रदेश | | | | | 61300.1 | 27278.6 | | |
| गुजरात | | | 210731.2 | 88928.5 | 829697.0 | 369215.2 | 447638.2 | 218895.1 |
| कर्नाटक | | | | | 11860.3 | 5277.8 | | |
| मध्य प्रदेश | | | | | | | 28501.2 | 13937.1 |
| ओडिशा | | | 947.8 | 400.0 | 2418.8 | 1076.4 | 130.8 | 63.9 |
| राजस्थान | | | | | 146279.5 | 65094.4 | 232482.1 | 113683.8 |
| तेलंगाना | | | | | 27.0 | 12.0 | | |
| उत्तर प्रदेश | | | | | | | 8762.6 | 4284.9 |
| **सरसो बीज** | | | **36940.2** | **13667.9** | **873661.0** | **349464.4** | **1009243.4** | **423882.2** |
| गुजरात | | | | | 52659.6 | 21063.8 | 29302.2 | 12306.9 |
| हरियाणा | | | 36940.2 | 13667.9 | 227602.0 | 91040.8 | 250985.0 | 105413.7 |
| मध्य प्रदेश | | | | | 119747.3 | 47898.9 | 182483.3 | 76643.0 |
| राजस्थान | | | | | 471614.2 | 188645.7 | 546070.5 | 229349.6 |
| उत्तर प्रदेश | | | | | 1211.4 | 484.6 | 402.4 | 169.0 |
| पश्चिम बंगाल | | | | | 826.6 | 330.6 | | |
| **रामतिल** | | | | | | | **15.9** | **9.3** |
| मध्य प्रदेश | | | | | | | 15.9 | 9.3 |
| **तिल बीज** | | | **3419.8** | **1709.9** | | | | |
| पश्चिम बंगाल | | | 3419.8 | 1709.9 | | | | |
| **सोयाबीन** | | | **162.2** | **45.0** | **72282.1** | **22046.0** | **19483.0** | **6622.3** |
| कर्नाटक | | | | | | | 6.0 | 2.0 |
| महाराष्ट्र | | | 162.2 | 45.0 | 26104.5 | 7961.9 | 1283.0 | 436.1 |
| राजस्थान | | | | | 11624.6 | 3545.5 | 2957.8 | 1005.4 |
| तेलंगाना | | | | | 34553.1 | 10538.7 | 15236.2 | 5178.8 |
| **सूरजमुखी बीज** | **4949.3** | **1880.7** | **6539.1** | **2582.9** | **2745.4** | **1125.6** | **3125.0** | **1683.8** |
| हरियाणा | 4784.8 | 1818.2 | 6250.0 | 2468.7 | 2400.0 | 984.0 | 2375.0 | 1279.7 |
| ओडिशा | 164.6 | 62.5 | 177.0 | 69.9 | 130.4 | 53.5 | | |
| तेलंगाना | | | 112.1 | 44.3 | 215.0 | 88.2 | 750.0 | 404.1 |

स्रोत:कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

**अनुबंध 1 जारी**

**दिनांक 25.06.2019 को देय लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 45 के (ग) और (घ)के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

2015-16 *से* 2018-19 तक पीएसएस के अधीन एमएसपी पर खरीदे गए दलहन और तिलहन के अनंतिम ब्यौरे *(दिनांक 13.06.2019तक)*

| **वर्ष** | **2015-16** | | **2016-17** | | **2017-18** | | **2018-19** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **राज्य/जिन्स** | **खरीदी गई मात्रा (टन में)** | **एमए सपी मूल्य (लाख रूपए में)** | **खरीदी गई मात्रा (टन में)** | **एमएसपी मूल्य (लाख रूपए में)** | **खरीदी गई मात्रा (टन में)** | **एमएसपी मूल्य (लाख रूपए में)** | **खरीदी गई मात्रा (टन में)** | **एमएसपी मूल्य (लाख रूपए में)** |
| **दलहन** | | | **333644.0** | **170544.8** | **4552908.9** | **2162833.7** | **1916260.6** | **1039284.9** |
| **चना** | | | | | **2769430.2** | **1218549.3** | **755437.4** | **349012.1** |
| आंध्र प्रदेश | | | | | 91982.7 | 40472.4 | 3470.9 | 1603.5 |
| गुजरात | | | | | 91000.0 | 40040.0 | 17068.4 | 7885.6 |
| हरियाणा | | | | | | | 207.6 | 95.9 |
| कर्नाटक | | | | | 135422.1 | 59585.7 | 15.1 | 7.0 |
| मध्य प्रदेश | | | | | 1611972.1 | 709267.7 | 576745.6 | 266456.5 |
| महाराष्ट्र | | | | | 194726.9 | 85679.8 | 22392.3 | 10345.3 |
| राजस्थान | | | | | 579972.4 | 255187.8 | 100961.1 | 46644.0 |
| तेलंगाना | | | | | 50000.0 | 22000.0 | 34500.0 | 15939.0 |
| उत्तर प्रदेश | | | | | 14354.1 | 6315.8 | 76.5 | 35.3 |
| **मसूर** | | | | | **246943.9** | **104951.1** | **56148.3** | **25126.4** |
| मध्य प्रदेश | | | | | 233245.6 | 99129.4 | 56075.0 | 25093.6 |
| उत्तर प्रदेश | | | | | 13698.2 | 5821.8 | 73.3 | 32.8 |
| **मूंग** | | | **121902.7** | **63694.2** | **299182.4** | **166794.2** | **322531.3** | **224965.6** |
| आंध्र प्रदेश | | | | | 3962.7 | 2209.2 | 12671.3 | 8838.2 |
| गुजरात | | | | | | | 4044.8 | 2821.2 |
| हरियाणा | | | | | | | 224.9 | 156.9 |
| कर्नाटक | | | 2518.9 | 1316.1 | 21758.4 | 12130.3 | 28950.0 | 20192.6 |
| मध्य प्रदेश | | | 111000.0 | 57997.5 | | | 3037.5 | 2118.6 |
| महाराष्ट्र | | | 6977.8 | 3645.9 | 5262.4 | 2933.8 | 18230.5 | 12715.8 |
| ओडिशा | | | 1406.0 | 734.6 | 2675.1 | 1491.4 | 550.5 | 384.0 |
| राजस्थान | | | | | 262203.8 | 146178.6 | 236277.3 | 164803.4 |
| तमिलनाडु | | | | | | | 5169.4 | 3605.6 |
| तेलंगाना | | | | | 3320.0 | 1850.9 | 13375.3 | 9329.3 |
| **तूर** | | | **195993.7** | **98976.8** | **873758.6** | **476198.4** | **290735.1** | **164992.2** |
| आंध्र प्रदेश | | | | | 55600.0 | 30302.0 | 4680.3 | 2656.1 |
| गुजरात | | | 49797.1 | 25147.5 | 69986.7 | 38142.8 | 32275.9 | 18316.6 |
| कर्नाटक | | | 30920.6 | 15614.9 | 336154.2 | 183204.0 | 125938.1 | 71469.9 |
| मध्य प्रदेश | | | | | | | 3155.0 | 1790.4 |
| महाराष्ट्र | | | 115276.0 | 58214.4 | 336717.8 | 183511.2 | 53985.9 | 30637.0 |
| तमिलनाडु | | | | | | | 399.9 | 226.9 |
| तेलंगाना | | | | | 75300.0 | 41038.5 | 70300.0 | 39895.3 |

**अनुबंध 1 जारी**

**दिनांक 25.06.2019 को देय लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 45 के (ग) और (घ)के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**2015-16 *से* 2018-19 तक पीएसएस के अधीन एमएसपी पर खरीदे गए दलहन और तिलहन के अनंतिम ब्यौरे*(दिनांक 13.06.2019 तक)***

| वर्ष | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य/जिन्स | खरीदी गई मात्रा (टन में) | एमएसपी मूल्य (लाख रूपए में) | खरीदी गई मात्रा (टन में) | एमएसपी मूल्य (लाख रूपए में) | खरीदी गई मात्रा (टन में) | एमएसपी मूल्य (लाख रूपए में) | खरीदी गई मात्रा (टन में) | एमएसपी मूल्य (लाख रूपए में) |
| **उड़द** | | | **15747.7** | **7873.8** | **363593.9** | **196340.7** | **491408.5** | **275188.8** |
| आंध्र प्रदेश | | | | | 92763.0 | 50092.0 | 13290.1 | 7442.4 |
| गुजरात | | | | | 19878.4 | 10734.3 | 9409.8 | 5269.5 |
| कर्नाटक | | | | | 13090.5 | 7068.9 | 10.1 | 5.7 |
| मध्य प्रदेश | | | 15747.7 | 7873.8 | | | 345000.0 | 193200.0 |
| महाराष्ट्र | | | | | 58664.0 | 31678.5 | 11374.1 | 6369.5 |
| ओडिशा | | | | | 4216.8 | 2277.1 | 302.6 | 169.5 |
| राजस्थान | | | | | 130905.0 | 70688.7 | 77444.9 | 43369.2 |
| तमिलनाडु | | | | | 1547.9 | 835.8 | 3379.1 | 1892.3 |
| तेलंगाना | | | | | 13170.4 | 7112.0 | 1454.9 | 814.8 |
| उत्तर प्रदेश | | | | | 22568.0 | 12186.7 | 29743.0 | 16656.1 |
| पश्चिम बंगाल | | | | | 6790.0 | 3666.6 | | |

स्रोत:कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

**सीसीआई द्वारा कपास की खरीद (मात्रा लाख गांठों में)**

| राज्य | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19* |
|---|---|---|---|---|
| गुजरात | 0.515 | - | 0.951 | 0.08 |
| महाराष्ट्र | 1.168 | - | 0.146 | 1.96 |
| मध्य प्रदेश | 0.291 | - | 0.078 | 0.51 |
| तेलंगाना | 5.952 | - | 2.635 | 7.77 |
| आंध्र प्रदेश | 0.4 | - | 0.065 | 0.05 |
| कर्नाटक | - | - | 0.003 | 0.08 |
| ओडिशा | 0.116 | - | 0.020 | 0.25 |
| पश्चिम बंगाल एवं अन्य | 0.004 | 0.005 | 0.004 | - |
| कुल | 8.445 | 0.005 | 3.902 | 10.70 |

*19.6.2019 के अनुसार

स्रोत:वस्त्र मंत्रालय